



2026:AHC:16922

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 31858 वर्ष 2025

विद्या प्रसाद

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	बालेश्वर दयाल, मयंक प्रकाश रावत, शेखर सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शेखर सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्तमान जमानत आवेदन निष्फल हो चुका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन के दृष्टिगत वर्तमान जमानत आवेदन निष्फल के रूप में खारिज किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।